Subject: [Cag-all-offices] Grant of advances – Seventh Pay Commission recommendations – Amendment to Rules of Compendium of Rules on Advances to Government Servants.

To: CAG-ALL-OFFICES@lsmgr.nic.in, singhvin@cag.gov.in

Date: 17/10/16 11:51 AM
From: Vimala <aaoauditr@cag.gov.in>
Sender: cag-all-offices-bounces@lsmgr.nic.in

Grant_Advances_7CPC_RulesAmendment07102016.pdf (3.0MB)

24
19-10-16

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110 124

Sr.DAG.(Admn)

संख्या :- 164-स्टाफ हकदारी(नियम)/ 03-2016
दिनांक:- 17.10.2016

प्रति,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग
के सभी कार्यालय ।

Grant of advances – Seventh Pay Commission recommendations – Amendment to Rules of Compendium of Rules on Advances to Government Servants.

उपर्युक्त विषय पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं. 12(1)/E.II (A)/2016 दिनांक 07/10/2016 को इस ई-मेल के साथ संलग्न किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय एवं अधिकारी कृपया इन आदेशों को आवश्यक कार्यवाई हेतु इस ई-मेल के संलग्नक से डाउनलोड कर लें। इन्हें संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते है।

Ministry of Finance, Department of Expenditure, New Delhi O.M. No. 12(1)/E.II (A)/2016 dated 07/10/2016 on the subject cited above has been attached with this E-mail.

The field offices and officers may download these orders attached with this E-mail for further necessary action. The orders can also be downloaded from the web site of the Ministry.

भवदीया,

हस्ता/-
(ए.विमला)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी/नियम

(AAO (Admn-IV))

17.10.16

S. DAG. Admn. 357
17/10/16

481
17-10-16

169/C

No. 12(1)/E.II(A)/2016
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 7th October, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of advances - Seventh Pay Commission recommendations- Amendment to Rules of Compendium of Rules on Advances to Government Servants.

The undersigned is directed to say that in pursuance of the decision taken by the Government on the Seventh Pay Commission's recommendations relating to advances, all the interest free advances stand discontinued as per attached annexure, with the exception that the interest free Advances for Medical Treatment, Travelling Allowance for family of deceased, Travelling Allowance on tour or transfer and Leave Travel Concession shall be retained.

2. In addition, the advance for training in Hindi through Correspondence Course, which is not mentioned in the Compendium of Rules on Advances to Government Servants, also stands abolished in pursuance of the decision of Government on 7th CPC recommendation.

3. These orders will take effect from the date of issue of this O.M. The cases where the advances have already been sanctioned need not be reopened.

4. In so far as persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

5. All the Ministries/Departments are requested to bring the amendments to the notice of all its attached and subordinate offices for their information.

Hindi version of this O.M. is enclosed.

(Pankaj Hazarika)
Director, E.II(A)

To

All the Ministries/Departments of the Government of India, etc.

Copy (with usual number of spare copies) forwarded to C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

AMENDMENT TO COMPENDIUM OF RULES ON ADVANCES TO GOVERNMENT SERVANTS, 2005.

Sl.No.	Name of Advance	GoI Decision on 7th CPC recommendations
1.	Bicycle Advance	Abolished
2.	Warm Clothing Advance	Abolished
3.	Advance of Pay on Transfer	Abolished
4.	Festival Advance	Abolished
5.	Natural Calamity Advance	Abolished
6.	Advance of Leave Salary	Abolished
7.	Advance for Law Suits	Abolished

1651C

सं. 12(1)/ई-II(ए)/ 2016

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली 7 अक्तूबर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अग्रिम प्रदान किया जाना - सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें - सरकारी कर्मचारियों के अग्रिमों से संबंधित नियमों का सार संग्रह के नियमों में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अग्रिमों के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, संलग्न अनुबंध के अनुसार सभी ब्याज मुक्त अग्रिमों को इस अपवाद के साथ समाप्त कर दिया गया है कि चिकित्सीय उपचार, मृतक के परिवार के लिए यात्रा भत्ते, दौरे पर या स्थानांतरण पर यात्रा भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायत के लिए ब्याज मुक्त अग्रिम जारी रखे जाएंगे।

2. इसके अतिरिक्त, पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिन्दी प्रशिक्षण के लिए अग्रिम भी, जिसका उल्लेख सरकारी कर्मचारियों के अग्रिमों से संबंधित नियमों के सार-संग्रह में नहीं किया गया है, 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में समाप्त कर दिया गया है।

3. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे। जिन मामलों में अग्रिमों को पहले से ही मंजूरी दे दी गई है, उन पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

4. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन संशोधनों की जानकारी अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को दें।

पंकज

(पंकज हजारिका)

निदेशक, ई-II(ए)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, आदि।

मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, आदि को प्रति (अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित।

सरकारी कर्मचारियों के अग्रिमों से संबंधित नियमों का सार-संग्रह, 2005 में संशोधन

क्र. सं.	अग्रिम का नाम	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार का निर्णय
1.	साइकिल अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
2.	गर्म कपड़ा अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
3.	स्थानांतरण पर वेतन अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
4.	त्यौहार अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
5.	प्राकृतिक आपदा अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
6.	छुट्टी वेतन अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
7.	*मुकदमों के लिए अग्रिम*	समाप्त कर दिया गया